संशोधन

संख्या-720/2026/1415(1)/26-27-सिं-9-175 एसएवी/26

प्रेषक,

कुलदीप श्रीवास्तव,
विशेष सचिव।
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष,
सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग,
उ0प्र0, लखनऊ।

सिंचाई एवं जल संसाधन अनुभाग-9 **लखनऊ: दिनांक 31 अगस्त, 2026**

विषय: बण्डई मुख्य नहर पर सुरक्षा वॉल, लाइनिंग एवं डब्ल्यू बी एम रोड के कार्यों की परियोजना की वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि शासनादेश संख्या-708/2026/001/1415 /26-27-सिं-9-175 एसएवी/26, दिनांक 15.07.2026 द्वारा वित्तीय वर्ष 2026-27 में विषयगत परियोजना की अनुमोदित लागत रू0 149.39 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति एवं अनुदान सं0-94 सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य) के लेखाशीर्षक 4701-19-051-10-14-24 के अन्तर्गत रू0 100.00 लाख की वित्तीय स्वीकृति निर्गत की गयी थी। उक्त शासनादेश के प्रस्तर-2 में लेखाशीर्षक-4701190511014 सम्बद्ध कार्य **मानक मद 24 वृहत् निर्माण कार्य** के स्थान पर त्रुटिवश लेखाशीर्षक-**4701460511014** सम्बद्ध कार्य **मानक मद 24 वृहत् निर्माण कार्य** अंकित हो गया है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपर्युक्त शासनादेश दिनांक 15.07.2026 के प्रस्तर-2 में अंकित लेखाशीर्षक-**4701460511014** सम्बद्ध कार्य **मानक मद 24 वृहत् निर्माण कार्य** के स्थान पर लेखाशीर्षक-4701190511014 सम्बद्ध कार्य **मानक मद 24 वृहत् निर्माण कार्य** पढ़ा जाय।

भवदीय,
कुलदीप श्रीवास्तव
विशेष सचिव।

संख्या एवं तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम, उ0प्र0, प्रयागराज।
3- प्रमुख अभियन्ता(परियोजना), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
4- मुख्य अभियन्ता (बजट)/(अग्रिम नियोजन), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
5- मुख्य अभियन्ता (परियोजना बेतवा), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, झांसी।
6- वित्त नियंत्रक, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
7- अनु सचिव एवं नोडल अधिकारी, ऑन लाइन बजट आवंटन, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0 शासन।
8- वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-8, उ0प्र0शासन।
9- गार्ड बुक।

आज्ञा से,
राजेन्द्र प्रसाद यादव
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है

http://shasanadesh.up.gov.in